


18/12/25

पत्रावली धाज पेश हुई। पार्टी व इनके वकील अनुपस्थित। न्यायालय समय में रुक-रुक कर तीन बार धावाजे लगाई गईं। आवजूड पार्टी व इनके वकील गैर हाजिर रहे। अतः पत्रावली गैर हाजिरी एवं अफसूसी में खारिज की जाती है। पत्रावली फिलहाल शुमार होकर साबिले दफ्तर हो एवम नम्बर ले कम हो।

  
सहायक कलक्टर  
(SDO) चौहटन

